न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 03/2021

1. शकून्तला उर्फ गुड्डी पुत्री जानकीलाल पत्नि सत्यनारायण जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. बृजेश उर्फ मंजू पुत्री बिशना पत्नि सुरेश कुमार जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 07.01.2022 निर्णय दिनांक : 14.05.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के आराजी खाता संख्या 1216 खसरा नं0 615 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 616 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 617 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 618 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 620 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 621 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 622 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 624 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 625 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 626 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 627 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 628 रकबा 0.09 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी कम 1 का शकुन्तला पुत्री जानकीलाल के स्थान पर गुड्डी पुत्री जानकीलाल एवं वादनी कम 2 का बृजेश पुत्री बिशना के स्थान पर मंजू पुत्री बिशना दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी कम 1 का वास्तविक नाम शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं वादनी कम 2 का वास्तविक नाम बृजेश पुत्री बिशना है। जिसको वादीगण राजस्व रेकार्ड में गुड्डी पुत्री जानकीलाल के स्थान पर शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं मंजू पुत्री बिशना के स्थान पर बृजेश पुत्री बिशना दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं बृजेश पुत्री बिशना दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में गुड्डी पुत्री जानकीलाल के स्थान पर शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं मंजू पुत्री बिशना के स्थान पर बृजेश पुत्री बिशना दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम गुड्डी पुत्री जानकीलाल के स्थान पर शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं मंजू पुत्री बिशना के स्थान पर बृजेश पुत्री बिशना दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 के अनुसार शकुन्तला पुत्री जानकीलाल जाति माली को गुड्डी पुत्री जानकीलाल जाति माली एवं बृजेश पुत्री बिशना जाति माली को मंजू पुत्री बिशना जाति माली के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो वादनीयों के दोनो नाम एक ही महिला के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त

Scanned by CamScanner

...ला शकुन्तला पुत्री जानकीलाल जाति माली व बृजेश पुत्री बिशना जाति माली एक ही के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त वादीगण का नाम गुड्डी पुत्री जानकीलाल के स्थान पर गुड्डी उर्फ शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं मंजू पुत्री बिशना के स्थान पर मंजू उर्फ बृजेश पुत्री बिशना सा० देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादनी स्वयं, महेश कुमार पुत्र जानकीलाल जाति माली निवासी सीसवाली एवं रमेश पुत्र जानकीलाल जाति माली निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 1216 खसरा नं0 615 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 616 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 617 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 618 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 620 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 621 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 622 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 624 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 625 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 626 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 627 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 628 रकबा 0.09 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी कम 1 का नाम गुड्डी पुत्री जानकीलाल के स्थान पर गुड्डी उर्फ शकुन्तला पुत्री जानकीलाल एवं वादनी कम 2 का नाम मंजू पुत्री बिशना के स्थान पर मंजू उर्फ बृजेश पुत्री बिशना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेंआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner